

न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर
एस0टी0 नं0-91/2015
सरकार-बनाम-इन्तेजार अहमद आदि
सी0एन0आर0नं0-यूपीएएन01000865-2015

16.09.2021

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अंजार अहमद एवं रुखसार अहमद की हाजिरी माफी प्रस्तुत, मात्र आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त इन्तेजार अहमद अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-10.12.2015 के माध्यम से प्रस्तुत मुकदमे में अग्रिम कार्यवाही को स्थगित करने का आदेश पारित किया गया। अभियुक्त द्वारा उक्त आदेश दिनांक-18.02.2016 को पत्रावली में दाखिल किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन रही। न्यायालय द्वारा कई बार अभियुक्त को स्थगन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति को स्पष्ट करने हेतु आदेशित भी किया गया, परन्तु उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। प्रस्तुत पत्रावली के सम्बन्ध में कम्प्यूटर से निर्गत स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार मामले का निस्तारित (Disposed) होना दर्शित हो रहा है। जिसमें फाइलिंग की तारीख दिनांक-08.12.2015 की प्रदर्शित है, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक-10.12.2015 को पारित किया गया। पत्रावली का अंतिम बार लिस्ट होना भी दिनांक-10.12.2015 को दर्शित किया गया है। परन्तु अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई भी प्रपत्र मौजूद नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किमिनल अपील सं0-1375-1376/ 2013 एशियन रिसर्फेसिंग आफ रोड एजेन्सी प्रा0लिमिटेड एवं अन्य-बनाम-केन्द्रीय जॉच व्यूरो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि-"35. In cases where stay is granted in future, the same will end on expiry of six months from the date of such order unless similar extension is granted by a speaking order. The speaking order must show that the case was of such exceptional nature that continuing the stay was more important than having the trial finalized. The trial Court where order of stay of civil or criminal proceedings is produced, may fix a date not beyond six months of the order of stay so that on expiry of period of stay, proceedings can commence unless order of extension of stay is produced."

प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अद्यतन स्थिति मौजूद नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगन दिनांक—10.12.2015 को पारित किया गया था। उक्त समयावधि बीत चुकी है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय की अद्यतन स्थिति को अवगत कराने हेतु भी उपस्थित नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मुकदमें की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की जाती है। अभियुक्त इन्तेजार अहमद के विरुद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी हो। पत्रावली दिनांक—23.09.2021 को हाजिरी हेतु पेश हो।

दिनांक—16.09.2021

(नेहा आनन्द)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0नं0—यू.पी. 6316